

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2(ग)(वेतन उन्नयन)/अलेसे-1/

1923-24

दिनांक:-27/04/2015

कार्यालय आदेश संख्या 08/2015-16

श्री ओम प्रकाश, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बयाना जिला भरतपुर ने सूचित किया है कि श्री प्रहलाद राम मीणा, वेतनमान (1640-2900) में वेतन स्थिरीकरण पश्चात् उनसे अधिक वेतन प्राप्त कर हैं, जिनका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विवरण	नाम वरिष्ठ कार्मिक (सर्वश्री)	नाम कनिष्ठ कार्मिक (सर्वश्री)
		ओमप्रकाश 471/81	प्रहलाद राम मीणा 556/81
1	राज्य सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति	15.09.1982	30.09.1982
2	कार्यग्रहण करने पर वेतन एवं वेतन श्रृंखला	625/- (625-1120)	625/- (625-1120)
3	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि एवं वेतन	15.09.1983 640/-	30.01.1984 640/- (दि. 05.10.1982 से 02.02.1983 तक 121 दिवस असाधारण अवकाश पर रहने के कारण)
4	दिनांक 01.09.1986 को वेतन निर्धारण एवं वेतन श्रृंखला	1200/- (1140-2250)	1200/- (1140-2250)
5	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि एवं वेतन	15.09.1986 1225/-	11.03.1987 1225/- (दि. 31.12.1984 से 08.02.1985 तक 40 दिवस असाधारण अवकाश पर रहने के कारण)
6	पुनरीक्षित वेतनमान 1989 में वेतन निर्धारण एवं वेतन श्रृंखला	1520/- (1400-2600)	1520/- (1400-2600)
7	आगामी वेतन वृद्धि की तिथि	15.09.1988	11.03.1989
8	प्रथम चयनित वेतनमान देयता की तिथि	25.01.1992	25.01.1992
9	प्रथम चयनित वेतनमान देय होने से पूर्व वेतन एवं वेतन श्रृंखला	1700/- (1400-2600)	1650/- (1400-2600)
10	प्रथम चयनित वेतनमान में निर्धारित वेतन एवं वेतन श्रृंखला	1760/- (1640-2900)	1760/- (1640-2900)
11	वेतन वृद्धि की तिथि	15.09.1992	11.03.1992
12	आगामी वेतन वृद्धि पर देय वेतन	1820/-	1820/-
13	दिनांक 11.03.1992 को वेतन	1760/-	1820/-

उक्त तुलनात्मक विवरण से स्पष्ट होता है, कि श्री प्रहलाद राम मीणा, तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार, श्री ओमप्रकाश तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार से दिनांक 11.03.1992 से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अतः वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. (1)वित्त/गुप-2/91-11 दिनांक 02.04.94 के अनुसरण से राजस्थान सेवा नियम 32 के अन्तर्गत श्री ओमप्रकाश, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I का वेतन दिनांक 11.03.1992 से 1760/-रु० के स्थान पर 1820/-रु० श्री प्रहलाद राम मीणा के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। आगामी वेतन वृद्धि राजस्थान सेवा नियम 31 के अनुसार एक वर्ष पश्चात् देय होगी।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

दिनांक:-27/04/2015

क्रमांक:-एफ.2(ग)(वेतन उन्नयन)/अलेसे-1/

1923-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बयाना जिला भरतपुर।
2. श्री ओम प्रकाश, स.ले.अ. ग्रेड-I कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बयाना जिला भरतपुर
3. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(कै.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)